

भारतीय स्टेट बैंक  
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए  
बैंक और एनबीएफसी द्वारा सह-ऋण  
के लिए नीति



दिनांक : 04.02.2021

एनबीएफसी गठबंधन विभाग  
कॉरपोरेट केंद्र  
एफआई और एमएम  
नई दिल्ली

क्रम सं	विषय सूची
1.	परिचय
2.	उद्देश्य
3.	बैंक और एनबीएफसी के बीच सह-ऋण मॉडल (सीएलएम) की आवश्यक विशेषताएं
	I. विस्तार
	II. ग्राहक से संबंधित समस्याएं
	III. अन्य परिचालन पहलू
4.	एनबीएफसी का चयन
	I. पात्रता मानदंड
	II. समुचित सावधानी
	III. चयन प्रक्रिया
	IV. परिचालन क्षेत्र व क्रेडिट जोखिम
	V. परिसंपत्तियों का प्रकार
	VI. ऋण की अवधि
5.	एनपीए
6.	आंतरिक लेखा परीक्षा
7.	प्रोविजनिंग/रिपोर्टिंग की आवश्यकता
8.	समनुदेशन
9.	शिकायत निवारण
10.	सूचना प्रौद्योगिकी समर्थक
11.	विविध

## 1. परिचय:

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने परिपत्र FIDD.CO. Plan.BC.No.08/04.09.01/2018-19 दिनांक 21/09/2018 के माध्यम से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के लिए बैंकों और एनबीएफसी द्वारा ऋण के सह-उद्भव के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए थे। इस व्यवस्था में दोनों ऋणदाताओं द्वारा सुविधा स्तर पर ऋण का संयुक्त योगदान करने के साथ-साथ जोखिमों और पुरस्कारों को साझा करना भी आवश्यक है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अब अपने पहले के सह-उत्पत्ति परिपत्र का स्थान लेते हुए परिपत्र सं. FIDD.CO.Plan.BC.No. 8/04.09.01/2020-21 दिनांक 05/11/2020 के माध्यम से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को बैंकों और एनबीएफसी द्वारा सह-ऋण देने के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, संशोधित योजना का प्राथमिक फोकस अर्थव्यवस्था के असेवित और अल्पसेवित क्षेत्रों को ऋण के प्रवाह में सुधार करना और बैंकों से धन की कम लागत और एनबीएफसी की अधिक पहुंच को देखते हुए एक किफायती लागत पर अंतिम लाभार्थी को धन उपलब्ध कराना है। नई योजना का नामकरण "सह-ऋण मॉडल" (सीएलएम) के रूप में किया गया है जिसके तहत बैंकों को पूर्व समझौते के आधार पर सभी पंजीकृत एनबीएफसी (एचएफसी सहित) के साथ सह-ऋण देने की अनुमति है। एनबीएफसी के साथ सह-ऋण व्यवस्था करने के लिए यह नीति आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई है।

एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक पंजीकृत कंपनी है जो ऋण और अग्रिम, सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी शेयरों/स्टॉक्स/बांड/डिबेंचर/प्रतिभूतियों का अधिग्रहण या समान प्रकृति की अन्य विपणन योग्य प्रतिभूतियां पट्टे पर देना, किराया-खरीद, बीमा व्यवसाय, चिटफंड व्यवसाय के व्यवसाय में लगी हुई है, लेकिन इसमें ऐसी कोई भी संस्था शामिल नहीं है जिसका प्रमुख व्यवसाय कृषि गतिविधि, औद्योगिक गतिविधि, किसी भी माल (प्रतिभूतियों के अलावा) की खरीद या बिक्री या बिक्री या अचल संपत्ति की कोई सेवा और बिक्री/खरीद/निर्माण का हो।

## 2. उद्देश्य:

- नई ऋण पुस्तक का सृजन:** स्थानीय आबादी के बीच एनबीएफसी की पहुंच उन्हें अपनी वित्तीय जरूरतों का आकलन करने में मदद करती है और इन क्षेत्रों में बैंक के ऋण पोर्टफोलियो को बढ़ाने में मदद कर सकती है। एनबीएफसी बैंक के साथ पूर्व मास्टर समझौते के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सभी क्षेत्रों जैसे कृषि, एसएमई, आरईएच आदि में विभिन्न ऋण श्रेणियों में नए ऋण का उद्भव कर सकते हैं।
- अनुवर्ती कार्रवाई और वसूली में सहायता:** एनबीएफसी मंजूरी के बाद अनुवर्ती कार्रवाई और वसूली में भी सहायता प्रदान करेगा। इससे परिचालन लागत को कम रखते हुए ग्रामीण शाखाओं पर दबाव बढ़ाए बिना बैंक की पहुंच और कारोबार में वृद्धि होगी।
- कम एनपीए दरें:** ऐतिहासिक आंकड़ों से पता चलता है कि एनबीएफसी में आमतौर पर उन गतिविधियों के लिए एनपीए का स्तर कम होता है जहां बैंक ने पारंपरिक रूप से अपेक्षाकृत अधिक एनपीए के साथ संघर्ष किया है।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण:** यह प्रस्तावित नीति प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की परिसंपत्तियों के अनन्य सृजन के लिए सह-ऋण देने के लिए है। सह-ऋण बैंक एनबीएफसी और बैंक के बीच जोखिमों और प्रतिफल को साझा करके सुविधाजनक और अधिक संगठित तरीके से पीएसएल आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होगा। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण आरबीआई के मौजूदा दिशा-निर्देशों द्वारा परिभाषित किया जाएगा।

### 3. बैंक और एनबीएफसी के बीच सह-ऋण मॉडल (सीएलएम) की आवश्यक विशेषताएं:

#### 1. विस्तार

1. सीएलएम के संदर्भ में, बैंक को पूर्व समझौते के आधार पर सभी पंजीकृत एनबीएफसी (एचएफसी सहित) के साथ सह-ऋण देने की अनुमति है। सह-ऋण देने वाले बैंक के रूप में, वह अपनी पुस्तकों में बैंक-टू-बैंक आधार पर व्यक्तिगत ऋणों का अपना हिस्सा लेगा। हालांकि, एनबीएफसी को अपनी पुस्तकों पर व्यक्तिगत ऋणों का न्यूनतम 20 प्रतिशत हिस्सा बनाए रखना आवश्यक होगा।

2. बैंक और एनबीएफसी के बीच एक मास्टर एग्रीमेंट किया जाना है, जिसमें व्यवस्था के नियम और शर्तें, साझेदार एनबीएफसी के चयन के लिए मानदंड, विशिष्ट उत्पाद लाइनें और संचालन के क्षेत्र शामिल होंगे, साथ ही जिम्मेदारियों के अलगाव के साथ-साथ ग्राहक इंटरफेस और सुरक्षा मुद्दों से संबंधित प्रावधान होंगे।

3. सीएलएम को लागू करने के लिए बैंक और एनबीएफसी द्वारा किए जाने वाले मास्टर समझौते में बैंक को अपनी पुस्तकों में लेने से पहले एनबीएफसी द्वारा उत्पन्न व्यक्तिगत ऋणों का अपना हिस्सा अनिवार्य रूप से लेने या बैंक के उचित परिश्रम के अधीन कुछ ऋणों को अस्वीकार करने के विवेक को बनाए रखने का प्रावधान हो सकता है।

- a. यदि समझौते में बैंक की ओर से एक पूर्व, अटल प्रतिबद्धता पर जोर दिया जाता है कि वह एनबीएफसी द्वारा उत्पन्न व्यक्तिगत ऋणों के अपने हिस्से को अपनी पुस्तकों में ले जाए, तो बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिमों और आचार संहिता के प्रबंधन पर मौजूदा दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने की व्यवस्था की जाएगी। विशेष रूप से, बैंक और साझेदार एनबीएफसी को बैंक द्वारा पूर्व में ही समुचित सावधानी के लिए उपयुक्त तंत्र लगाना होगा क्योंकि ऋण मंजूरी प्रक्रिया को मौजूदा दिशा-निर्देशों के तहत आउटसोर्स नहीं किया जा सकता है।
- b. अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदंड: बैंक को समय-समय पर अपडेट किए गए मास्टर निर्देशों - अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) दिशानिर्देश, 2016 का पालन करना होगा, जो पहले से ही विनियमित संस्थाओं (आरई) को उनके विकल्प पर, निर्दिष्ट शर्तों के अधीन तीसरे पक्ष द्वारा की गई ग्राहक की समुचित सावधानी पर भरोसा करने के लिए अनुमति देता है। इस संबंध में एनबीएफसी द्वारा किए गए केवाईसी को स्वीकार किया जा सकता है यदि यह आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार है, जो 12/07/2018 को अद्यतन केवाईसी पर आरबीआई मास्टर दिशा के अध्याय 5, पैरा 14 के तहत उल्लिखित शर्तों के अधीन है जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा-

खाता-आधारित संबंध शुरू होने के समय ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने के लिए, आरई, अपने विकल्प पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन किसी तीसरे पक्ष द्वारा किए गए ग्राहक की समुचित सावधानी पर भरोसा करेंगे:

- i. तीसरे पक्ष द्वारा की गई ग्राहक की समुचित सावधानी की जानकारी तीसरे पक्ष से या केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री से दो दिनों के भीतर प्राप्त की जाती है।
- ii. आरई द्वारा स्वयं को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाते हैं कि ग्राहक के समुचित सावधानी आवश्यकताओं से संबंधित पहचान डेटा और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज की प्रतियां अविलंब अनुरोध पर तीसरे पक्ष द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी।

- iii. तीसरे पक्ष का विनियमन, पर्यवेक्षण या निगरानी के लिए, और पीएमएल अधिनियम के तहत आवश्यकताओं और दायित्वों के अनुरूप ग्राहक की समुचित सावधानी और रिकॉर्ड रखने की आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए उपाय किए गए हैं।
- iv. तीसरा पक्ष ऐसे किसी देश या क्षेत्राधिकार में आधारित नहीं होगा जिसका उच्च जोखिम के रूप में मूल्यांकन किया गया हो।
- v. ग्राहक की समुचित सावधानी और यथा प्रयोज्य वर्धित समुचित सावधानी उपाय करने की अंतिम जिम्मेदारी आरई की होगी।

इसलिए, बैंक को इन शर्तों से सहमत होने और सीकेवाईसी को पूरा करने और सभी लाभार्थियों के लिए सीकेवाईसी नंबर साझा करने के लिए साझेदार एनबीएफसी की आवश्यकता होगी। एनबीएफसी ऊपर निर्धारित बैंक के साथ केवाईसी दस्तावेज भी साझा करेंगे।

- c. यदि बैंक समझौते के अनुसार एनबीएफसी द्वारा उत्पन्न ऋणों को अपनी पुस्तकों में लेने के संबंध में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है, तो यह व्यवस्था प्रत्यक्ष असाइनमेंट लेनदेन के समान होगी। तदनुसार, बैंक आरबीआई के परिपत्र आरबीआई/2011-12/540 डीबीओडी नं. बीपी बीसी-103/21.04.177/2011-12 दिनांक मई, 07, 2012 न्यूनतम होल्डिंग अवधि (एमएचपी) के अपवाद के साथ, जो इस सीएलएम के संदर्भ में किए गए ऐसे लेनदेन में लागू नहीं होगा।
  - d. एमएचपी छूट केवल उन मामलों में उपलब्ध होगी जहां बैंकों और एनबीएफसी के बीच पूर्व समझौते में बैंक-टू-बैंक आधार खंड शामिल है और प्रत्यक्ष असाइनमेंट के लिए दिशा-निर्देशों में निर्धारित अन्य सभी शर्तों का अनुपालन करता है।
  - e. इसका मतलब यह होगा कि ऋण पहले एनबीएफसी द्वारा खोले जाएंगे और फिर बैंक बाद में ऋण खाते खोलेगा। एनबीएफसी ऋण की पूरी राशि की संस्वीकृति और संवितरण कर सकता है और फिर प्रतिपूर्ति के लिए बैंक से संपर्क कर सकता है (जैसा कि आरबीआई की दिनांक 26.11.2020 की मेल के माध्यम से स्पष्ट किया गया है)।
4. हालांकि, बैंक को प्रमोटर समूह से संबंधित एनबीएफसी के साथ सह-ऋण व्यवस्था में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

## II. ग्राहकों से संबंधित मुद्दे

5. एनबीएफसी ग्राहकों के लिए इंटरफेस का एक बिंदु होगा और उधारकर्ता के साथ एक ऋण समझौता करेगा, जिसमें स्पष्ट रूप से व्यवस्था की विशेषताएं और एनबीएफसी और बैंक की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां शामिल होंगी।
6. व्यवस्था के सभी विवरण ग्राहकों को पहले से बताए जाएंगे और उनकी स्पष्ट सहमति ली जाएगी।
7. मुख्य उधारकर्ता से एक सर्वसमावेशी ब्याज दर का शुल्क लिया जा सकता है जैसा कि दोनों उधारदाताओं द्वारा दोनों पर लागू मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुरूप सहमति हो सकती है।

8. ग्राहक सेवा और उचित व्यवहार संहिता से संबंधित मौजूदा दिशानिर्देशों और बैंक एवं एनबीएफसी के तहत आने वाले दायित्वों को व्यवस्था के तहत दिए गए ऋणों के संबंध में यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू किया जाएगा।

9. एनबीएफसी को बैंक के साथ उचित जानकारी साझा करने की व्यवस्था के माध्यम से ग्राहक का एक एकल एकीकृत विवरण तैयार करने में सक्षम होना चाहिए।

10. शिकायत निवारण के संबंध में, एनबीएफसी के साथ उधारकर्ता द्वारा दर्ज की गई किसी भी शिकायत को सह-ऋणदाताओं द्वारा 30 दिनों के भीतर हल करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था लागू की जानी चाहिए, ऐसा न होने पर उधारकर्ता के पास आरबीआई में ग्राहक शिक्षा और संरक्षण प्रकोष्ठ (सीईपीसी) एवं संबंधित बैंकिंग लोकपाल/ एनबीएफसी के लिए लोकपाल के साथ इसे आगे बढ़ाने का विकल्प होगा।

11. व्यवसाय निरंतरता के लिए और प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए, बैंक मौजूदा व्यवस्था तब तक जारी रख सकते हैं जब तक कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित सह-ऋण नीति लागू नहीं की जाती (जैसा कि आरबीआई परिपत्र FIDD.CO के तहत स्पष्ट किया गया है।) योजना 581/04.09.001/2020-21 दिनांक 02.12.2020.

### III. अन्य परिचालन पहलू

12. सह-ऋणदाता बैंक और एनबीएफसी प्रत्येक व्यक्तिगत उधारकर्ता के खाते को अपने एक्सपोजर के लिए बनाए रखेंगे। हालांकि, बैंक और एनबीएफसी के बीच सीएलएम से संबंधित सभी लेन-देन (संवितरण/पुनर्भुगतान) को बैंकों के साथ बनाए गए एस्करो खाते के माध्यम से किया जाएगा, ताकि धन की इंटर-मिगलिंग से बचा जा सके। मास्टर समझौता स्पष्ट रूप से सह-ऋणदाताओं के बीच विनियोग के तरीके को निर्दिष्ट करेगा।

13. मास्टर समझौते में अभ्यावेदन और वारंटी पर आवश्यक धाराएं हो सकती हैं जो बैंक द्वारा अपनी पुस्तकों में लिए गए ऋणों के हिस्से के संबंध में प्रारंभिक एनबीएफसी की उत्पत्ति हेतु उत्तरदायी होंगे।

14. सह-ऋणदाता ऋण की निगरानी और वसूली के लिए एक ढांचा स्थापित करेंगे, जैसी कि पारस्परिक रूप से सहमति हुई हो।

15. सह-ऋणदाता पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों के अनुसार प्रतिभूति और प्रभार के सृजन की व्यवस्था करेंगे।

16. प्रत्येक ऋणदाता ऋण खाते के अपने हिस्से के लिए लागू विनियमों के तहत क्रेडिट सूचना कंपनियों को रिपोर्ट करने सहित उनमें से प्रत्येक पर लागू संबंधित नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानण आवश्यकता का पालन करेगा।

17. सीएलएम के तहत ऋण को बैंक और एनबीएफसी के भीतर आंतरिक/सांविधिक लेखा परीक्षा के दायरे में शामिल किया जाएगा ताकि उनके संबंधित आंतरिक दिशानिर्देशों, समझौते की शर्तों और मौजूदा नियामक आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

18. किसी तीसरे पक्ष को सह-ऋणदाता द्वारा ऋण का कोई भी असाइनमेंट केवल अन्य ऋणदाता की सहमति से किया जा सकता है।

19. सह-ऋणदाताओं के बीच सह-ऋण व्यवस्था को समाप्त करने की स्थिति में बैंक और एनबीएफसी दोनों ही सह-ऋण समझौते के तहत ऋण की अदायगी तक अपने उधारकर्ताओं को निर्बाध सेवा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवसाय निरंतरता योजना लागू करेंगे।

#### 4. एनबीएफसी का चयन:

I. पात्रता मानदंड: सह-ऋण हेतु, एनबीएफसी निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करेगा।

मापदंड	मानदंड
बाहरी क्रेडिट रेटिंग	ए (-) और ऊपर (*)
प्रबंधन के अधीन आस्तियां	100 करोड़ और उससे अधिक
कुल मूल्य	10 करोड़ या उससे अधिक
टीओएल/एनओएफ:	एनबीएफसी- 8 गुना तक एचएफसी - 10 गुना तक
सकल एनपीए	5% से कम
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर)	एनबीएफसी- न्यूनतम 15% एचएफसी- न्यूनतम 14%
ऋणदाताओं के साथ एनबीएफसी का डिफॉल्ट ट्रेक रिकॉर्ड	शून्य
एसेट पोर्टफोलियो के प्रबंधन में एनबीएफसी का अनुभव	2 वर्ष या उससे अधिक

(\*) सभी कृषि ऋणों (कितनी भी सीमा के) और माइक्रो फाइनेंस के तहत ऋण (प्रति व्यक्ति एक लाख रुपये तक) के लिए, स्वीकार्य न्यूनतम बाहरी क्रेडिट रेटिंग बीबीबी है।

एनबीएफसी के ईसीआर को हर्डल रेट ए से नीचे में पदावनति की स्थिति में, एनबीएफसी के साथ सह-ऋण व्यवस्था की चयन समिति द्वारा समीक्षा की जाएगी और आगे की कार्रवाई के लिए एमडी (आर एंड डीबी) के समक्ष रखा जाएगा।

II. समुचित सावधानी : ऑन-बोर्डिंग के लिए प्रस्ताव डालने से पहले, एनबीएफसी की समुचित सावधानी निरपवाद रूप से निम्नलिखित मापदंडों पर की जाएगी:

- i. व्यवसाय मॉडल, परिचालन के खंड की समझ।
- ii. उत्पत्ति, विचलन संरचना सहित अंडरराइटिंग प्रक्रिया।
- iii. संग्रहण एवं वसूली प्रक्रिया, एनपीए पहचान मानदंड।
- iv. दस्तावेजों का भंडारण और उनकी सुरक्षा

इसके अलावा, ऑन-बोर्डिंग प्रस्ताव को संसाधित करने वाली टीम को परिसंपत्तियों की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने और एनपीए से बचने के लिए एनबीएफसी द्वारा अपनाए गए उत्पत्ति/अंडरराइटिंग मानकों की स्वीकार्यता के लिए यादृच्छिक आधार पर कम से कम 20 नमूना ऋण खातों की जांच करनी चाहिए।

III. **चयन प्रक्रिया-** सभी मंडल /व्यवसाय ईकाइयां सह-ऋण देने के लिए अपने-अपने क्षेत्रों में एनबीएफसी के साथ विचार-विमर्श शुरू कर सकते हैं। व्यावसायिक क्षमता के बारे में संतुष्ट होने पर, मंडल की नामित शाखा एनबीएफसी एलायंस विभाग के माध्यम से बोर्डिंग प्रक्रिया शुरू करेगी। व्यवसाय ईकाइयां भी संभावना का पता लगाने के लिए बाजार को सक्रिय रूप से स्कैन कर सकती हैं क्योंकि एक से अधिक सेगमेंट में कई एनबीएफसी काम कर रहे हैं।

एनबीएफसी के चयन के लिए गठित की जाने वाली समिति में बीयू (एसएमईयू/बीडी/रेहबु) में से किसी एक में से एक सीजीएम, बीयू से एक जीएम और सीजीएम-एनबीएफसी एलायंस द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले बीयू के अलावा अन्य में से एक जीएम शामिल होना चाहिए। डीजीएम-एनबीएफसी गठबंधन चयन समिति के साथ समन्वय स्थापित करेंगे। ऋण पुस्तिका के आकार, एनबीएफसी के विंटेज और सेवा शुल्क, यदि कोई हो, पर निर्णय भी समिति द्वारा लिया जाएगा। विधि विभाग द्वारा विधिवत रूप से संचालित व्यवस्था के विवरण वाले संबंधित एनबीएफसी के साथ मास्टर एग्रीमेंट (एमए) के मसौदे को भी चयन समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। बैंक की ओर से एनबीएफसी के साथ मास्टर एग्रीमेंट पर जीएम-एनबीएफसी एलायंस के हस्ताक्षर होंगे।

एनबीएफसी/एचएफसी की सूची, जिनके पंजीकरण का प्रमाण पत्र आरबीआई द्वारा रद्द कर दिया गया था, किसी भी एनबीएफसी/एचएफसी के साथ को लेंडिंग करने से पहले सत्यापित किया जाएगा। ऐसे अपंजीकृत एनबीएफसी की पहचान करने के लिए आवधिक सत्यापन किया जाएगा और यदि बैंक ने पहले ही सह-ऋण देने के लिए एक समझौता किया है तो आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

एनबीएफसी के चयन के संबंध में विशिष्ट विचलन, यदि कोई हो, एमडी (आर और डीबी) द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।

IV परिचालन और क्रेडिट जोखिम का क्षेत्र: एनबीएफसी के साथ ऋण का सह-ऋण आम तौर पर विशेषज्ञता के उनके डोमेन तक सीमित होगा। इसे या तो एक गतिविधि (बीडी/एसएमई/आरईएच) या इनके संयोजन तक सीमित किया जा सकता है। इसे मास्टर एग्रीमेंट में शामिल किया जाना है।

V परिसंपत्तियों का प्रकार: निम्नलिखित को छोड़कर खुदरा उन्मुख मानक परिसंपत्तियों के लिए सह-ऋण किया जा सकता है:

- i. रिवाँल्विंग क्रेडिट सुविधाएं (जैसे क्रेडिट कार्ड प्राप्तियां)
- ii. अन्य संस्थाओं से खरीदी गई संपत्तियां
- iii. मूलधन और ब्याज दोनों की बुलेट चुकोती के साथ ऋण

## VI ऋण की अवधि:

क्रम सं.	परिसंपत्ति का प्रकार	ऋण की अधिकतम अवधि
1.	होम लोन	30 वर्ष तक
2.	एसएमई बंधक समर्थित ऋण	15 वर्ष तक
3.	अन्य ऋण	8 वर्ष तक

### 5. एनपीए

a) एनपीए की पहचान- एनपीए की पहचान संबंधित सह-उधारदाताओं पर लागू आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

b) समझौता और निपटान: सह-ऋण ऋण के लिए बैंक की मौजूदा समझौता और निपटान नीति लागू होगी।

6. **आंतरिक लेखा परीक्षा:** सीएलएम के तहत ऋण बैंक और एनबीएफसी के भीतर आंतरिक/सांविधिक लेखा परीक्षा के दायरे में शामिल किया जाएगा ताकि ऋण खातों के ब्याज अनुदान के लिए पात्र होने के मामले में उनके संबंधित आंतरिक दिशा-निर्देशों, समझौते की शर्तों, वर्तमान नियामक आवश्यकताओं और भारत सरकार से अतिरिक्त आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। इसलिए, बैंक के मौजूदा आरएफआईए और वैधानिक लेखा परीक्षा दिशानिर्देश सह-ऋण मॉडल के तहत सभी ऋणों पर लागू किए जाएंगे।

7. **प्रोविजनिंग/रिपोर्टिंग की आवश्यकता:** बैंक और एनबीएफसी संबंधित संस्थाओं पर लागू नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार खातों को एनपीए के रूप में घोषित करने सहित स्वतंत्र प्रावधान आवश्यकताओं का पालन करेंगे। बैंक और एनबीएफसी अपने ऋण के हिस्से के लिए संबंधित लागू कानूनों और विनियमों के तहत क्रेडिट सूचना कंपनियों को रिपोर्ट करने सहित अपनी संबंधित रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।

8. **असाइनमेंट:** थर्ड पार्टी को लोन का असाइनमेंट बैंक और एनबीएफसी की आपसी सहमति से ही किया जाएगा।

9. **शिकायत निवारण-** यह एनबीएफसी की जिम्मेदारी होगी कि वे व्यवस्था के विवरण और सह-ऋण मॉडल में ली गई उनकी स्पष्ट सहमति के बारे में अंतिम उधारकर्ता को बताएं और समझाएं। एनबीएफसी मुख्य रूप से उधारकर्ता को आवश्यक ग्राहक सेवा और शिकायत निवारण प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा। बैंक और एनबीएफसी द्वारा मास्टर एग्रीमेंट में 30 दिनों के भीतर एनबीएफसी के साथ किसी भी शिकायत को हल करने के लिए उपयुक्त व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी, ऐसा न होने पर उधारकर्ता के पास एनबीएफसी या आरबीआई में ग्राहक शिक्षा और संरक्षण प्रकोष्ठ (सीईपीसी) के लिए संबंधित बैंकिंग लोकपाल/लोकपाल के साथ इसे आगे बढ़ाने का विकल्प होगा।

10. **सूचना प्रौद्योगिकी समर्थक:** निम्नलिखित प्रक्रियाओं को आईटी एकीकरण के माध्यम से सक्षम किया जाएगा (सूची उदाहरण स्वरूप है और संपूर्ण नहीं है):

1) मूल्यांकन और स्वीकृति के स्वचालन के लिए नियम आधारित आवेदन।

- 2) संवितरण और साथ ही उधारकर्ताओं से उचित ऋण चुकौती के लिए एस्करो प्रकार का सामान्य खाता।
- 3) संवितरण, देय भुगतान और वसूली के लिए एमआईएस।
- 4) अनुमोदित सह-ऋण नीति के अनुसार नए उत्पाद कोड का निर्माण।
- 5) मासिक आधार पर आय के बंटवारे की गणना।
- 6) एनबीएफसी द्वारा उधारकर्ता को एकीकृत विवरण प्रदान करने के लिए एनबीएफसी के साथ ऋण खाते के आंकड़ों को साझा करना।

नीति के कार्यान्वयन के लिए किसी भी प्रक्रियात्मक आवश्यकता/मामूली सक्षमता को वर्टिकल प्रमुख द्वारा यह सुनिश्चित करते हुए अनुमोदित किया जा सकता है कि वे इस संबंध में आरबीआई के समग्र नीतिगत ढांचे का पालन करें।

आरबीआई का परिपत्र सं. FIDD.CO.Plan.BC संख्या 8/04.09.01/2020-21 दिनांक 05/11/2020 और बाद में ई-मेल दिनांक 26.11.2020, परिपत्र संख्या FIDD.CO.Plan.BC 569/04.09.001/2020-21 दिनांक 1.12.2020 तथा परिपत्र संख्या FIDD.CO.Plan 581/04.09.001/2020 दिनांक 02.12. 202 0 के माध्यम से स्पष्टीकरणों में एक पूर्व समझौते के आधार पर सभी पंजीकृत एनबीएफसी (एचएफसी सहित) और बैंकों के बीच सह-ऋण व्यवस्था निर्धारित की गई है। यह नीति भविष्य में यथोचित संशोधनों सहित ऋण के सह-ऋण के लिए आरबीआई द्वारा पहचानी गई सभी संस्थाओं को शामिल करेगी।

#### 11. विविध

- a) प्रक्रिया और एसओपी: एमडी (आर एंड डीबी) को सह-ऋण के लिए प्रक्रियाओं और एसओपी में संशोधनों/समीक्षा/संशोधन को मंजूरी देने के लिए अधिकृत किया जाएगा ।
- b) नीति की समीक्षा/नवीनीकरण: नीति सभी व्यवसाय ईकाइयों पर लागू होगी। प्रस्तावित नीति बैंक और एनबीएफसी द्वारा ऋण के सह-ऋण पर आरबीआई की नीति के अनुरूप है और हर वर्ष इसकी समीक्षा की जाएगी । आरबीआई की नीति में कोई भी बदलाव नए सिरे से मंजूरी की आवश्यकता के बिना लागू होगा। यदि किसी भी परिवर्तन को बाद में एमडी (आर एंड डीबी) द्वारा इस नीति में अनुमोदित किया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप नियामक दिशानिर्देशों/अन्य निर्देशों आदि में किसी भी परिवर्तन के परिणामस्वरूप; जब तक नीति की व्यापक समीक्षा नहीं हो जाती, तब तक ऐसे परिवर्तनों को नीति का हिस्सा माना जाएगा।